5

पूर्वोत्तर में विकास और नेतृत्व का नया अध्याय

6

पत्रकार 11 और डॉक्टर्स 11 के बीच हुआ क्रिकेट मैच

7

जीतू पटवारी व पीसी शर्मा ने भाजपा को घेरा

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 48 प्रति सोमवार, 06 अप्रैल 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

किसानों के हक पर प्रहार? किसानों के नाम पर खुली लूट के संरक्षक बैरसिया विधायक विष्णु खत्री पर उठते गंभीर सवाल

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में एक ओर जहां राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस देने और कृषि को लाभकारी बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के ही एक विधायक पर किसानों के शोषण के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। बैरसिया से विधायक विष्णु खत्री पर आरोप है कि उन्होंने गरीब और कमजोर किसानों से सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदकर उसे अपने निजी वेयरहाउस में संग्रहित किया और बाद में सरकारी खरीद में ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाया। यह मामला केवल एक व्यक्ति के आचरण का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और किसान हितैषी दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

किसानों से सस्ते में खरीद, मुनाफे का खेल?

आरोपों के अनुसार विधायक विष्णु खत्री ने लगभग 500 टन गेहूं किसानों से बाजार भाव से कम कीमत पर खरीदा। ये किसान मुख्यतः छोटे और सीमांत वर्ग के बताए जा रहे हैं, जो आर्थिक दबाव, ऋण या तात्कालिक जरूरतों के चलते अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं। यदि ये आरोप सही हैं, तो यह सीधे-सीधे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने का मामला बनता है। यह भी कहा जा रहा है कि खरीदा गया गेहूं बैरसिया स्थित उनके निजी वेयरहाउस में जमा किया गया, जिसे बाद में सरकारी खरीद प्रणाली में ऊंचे दामों पर बेचा गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल एक व्यापारिक गतिविधि है या सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर सुनियोजित तरीके से लाभ कमाने का प्रयास?

सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार यह दावा करते रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। गेहूं पर बोनस, एमएसपी में वृद्धि, सिंचाई सुविधाएं और बिजली आपूर्ति जैसे कदमों को किसान हितैषी बताया जाता है। (शेष पेज 2 पर)

आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूत कदम;

कुटीर उद्योगों के माध्यम से बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अब ठोस परिणामों में बदलते दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है। सरकार ने यह समझा है कि किसी भी राज्य की वास्तविक आर्थिक ताकत उसके गांवों में बसती है, और इसी सोच के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कार्यशैली का मूल आधार यह है कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही कारण है कि राज्य सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कौशल, स्थानीय संसाधन और श्रमशक्ति की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए कुटीर उद्योगों को केंद्रीकृत किया गया है। इस दिशा में गजेंद्र यादव के नेतृत्व में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके प्रयासों से परंपरागत कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की पहल तेज हुई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बेहतर बाजार मिल रहा है। (शेष पेज 2 पर)

महज 18 माह के शासन में किसानों के मसीहा बन गये थे कमलनाथ

26 लाख किसानों का साढ़े 11 हजार करोड़ का कर्जा किया था माफ

-विजया पाठक

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में महज 18 माह के शासन में किसानों के लिए जो काम किए, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ थे। कमलनाथ सरकार ने किसानों की ऋण माफी योजना शुरू की, जो राज्य में कृषि संकट को लेकर बड़ा कदम था। इस योजना के तहत किसानों को कर्ज से राहत मिली और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा, कमलनाथ ने बिजली बिलों की माफी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन कदमों ने किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया और उन्हें "किसानों के मसीहा" के रूप में स्थापित किया। हालांकि, उनका शासन 18 महीने का ही था, लेकिन इतने कम समय में किसानों के लिए जो योजनाएं लागू कीं, वो किसानों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुईं। यह सरकार महज एक साल 97 दिन ही चल पाई। कमलनाथ 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक सीएम रहे। (शेष पेज 3 पर)

टीईटी मामले को लेकर पसोपेश में मोहन सरकार;

भविष्य को लेकर डेढ़ लाख शिक्षकों पर लटकी तलवार

-विजया पाठक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए और कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य हो गया है। उन्हें दो साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा नौकरी पर संकट आ सकता है। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। मध्यप्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक आंदोलन तेज हो गया है। करीब डेढ़ लाख शिक्षक सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। 8, 11 और 18 अप्रैल 2026 को चरणबद्ध प्रदर्शन होंगे। शिक्षक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और उग्र होगा। इस दायरे में वे शिक्षक भी आ रहे हैं, जो 2005 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए थे और उस समय लागू नियमों के अनुसार पात्र थे। अब नए नियम लागू होने की आशंका ने पूरे शिक्षा तंत्र में असंतोष पैदा कर दिया है। इसके साथ ही सरकार पसोपेश में नजर आ रही है। क्योंकि फैसले पर अमल करती है जो प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। यहां यह बताना भी जरूरी है कि उप्र सरकार ने शिक्षकों के हित में एक फैसला लिया है कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगी। यहां सवाल उठता है कि क्या मप्र सरकार भी ऐसा निर्णय ले सकती है। (शेष पेज 3 पर)

किसानों के नाम पर खुली लूट के संरक्षक बैरसिया विधायक विष्णु खत्री पर उठते गंभीर सवाल

(पेज 1 का शेष)

लेकिन यदि उन्हीं की सरकार के विधायक पर किसानों से सस्ते में खरीद और महंगे में बेचने के आरोप लगते हैं, तो यह सरकार की नीतियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। क्या यह संभव है कि एक विधायक इतने बड़े स्तर पर खरीद-फरोख्त करे और प्रशासन को इसकी जानकारी न हो? क्या यह स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत का संकेत है? या फिर यह पूरे सिस्टम में व्याप्त खामियों का परिणाम है?

वेयरहाउस में जमा किया अनाज

बैरसिया स्थित निजी वेयरहाउस में सैकड़ों टन गेहूं जमा होने की बात सामने आई है। यह स्थिति कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। क्या इस भंडारण की जानकारी संबंधित विभागों को थी? क्या इस गेहूं की खरीद और भंडारण वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई? क्या इस अनाज को बाद में सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से बेचा गया? यदि इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं, तो यह मामला केवल नैतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी जांच का भी विषय बन जाता है।

किसानों के साथ अन्याय या संगठित शोषण?

मध्यप्रदेश को देश का "फूड बास्केट" कहा जाता है। यहां के किसान देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में यदि वही किसान शोषण का शिकार होते हैं, तो यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। छोटे किसान अक्सर बाजार की अस्थिरता, भंडारण की कमी और नकदी संकट के कारण अपनी उपज कम दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं। यदि इस स्थिति का फायदा कोई जनप्रतिनिधि उठाता है, तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है।

राजनीतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही

यह मामला अब केवल स्थानीय स्तर का नहीं रह गया है। यह सीधे तौर पर राज्य सरकार और सत्ताधारी दल की जवाबदेही से जुड़ता है। क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देंगे? क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेंगे? यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो यह संदेश जाएगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए अलग नियम हैं और आम किसानों के लिए अलग।

सत्ता का दुरुपयोग या सिस्टम की विफलता?

यह भी जरूरी है कि इस मामले को व्यापक संदर्भ में देखा जाए। क्या यह केवल एक विधायक का व्यक्तिगत मामला है, या यह उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है जहां बिचौलियों की भूमिका अभी भी मजबूत है। किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच नहीं मिल पा रही। सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। यदि ऐसा है, तो यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की विफलता है।

विपक्ष के आरोप और जनता की नजर

विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और इसे किसानों के साथ "आर्थिक अन्याय" बता रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके ही विधायक किसानों का शोषण कर रहे हैं। जनता भी अब इस मामले को गंभीरता से देख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह चर्चा का विषय बन चुका है कि यदि जनप्रतिनिधि ही इस तरह के कार्यों में शामिल होंगे, तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी?

किसान हित या राजनीतिक संरक्षण?

बैरसिया विधायक विष्णु खत्री पर लगे आरोपों ने मध्यप्रदेश की राजनीति और कृषि व्यवस्था दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक बन सकता है, जहां सत्ता का उपयोग सेवा के बजाय लाभ के लिए किया जाता है। यदि सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है, तो उसे इस मामले में पारदर्शी और कठोर कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा "किसान कल्याण" केवल एक नारा बनकर रह जाएगा।

कुटीर उद्योगों के माध्यम से बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(पेज 1 का शेष)

स्वरोजगार योजनाओं से बढ़ती उम्मीदें

राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी योजनाएं युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। CMEGP के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेवा क्षेत्र में साइकिल मरम्मत, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, टेंट हाउस जैसे छोटे व्यवसायों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में दोना-पत्तल निर्माण, मसाला, डेयरी उत्पाद, फ्लाई ऐश ब्रिक्स जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना में 35 प्रतिशत तक का अनुदान और मात्र 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। वहीं PMEGP योजना के तहत बड़े स्तर के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अनुदान की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि गांवों में भी बड़े उद्यम स्थापित हो सकें।

महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर

सरकार की इन योजनाओं का सबसे सकारात्मक प्रभाव महिलाओं और युवाओं पर पड़ा है। पहले जहां रोजगार के अवसर सीमित थे, वहीं अब स्वरोजगार के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। युवाओं के लिए भी यह योजनाएं आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम बन रही हैं। अब वे नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय अपने ही क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं, जिससे पलायन की समस्या में भी कमी आ रही है।

पारदर्शी और सरल प्रक्रिया

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों के लिए प्रक्रिया आसान हुई है। आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट सूची और सरल आवेदन प्रणाली से अब अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इन योजनाओं के प्रभाव से प्रदेश के 28 जिलों में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। छोटे-छोटे उद्यम स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कर रहे हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यह केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय बाजारों को भी नई गति मिल रही है।

दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व इस बात का प्रमाण है कि यदि नीतियां सही दिशा में और ईमानदारी से लागू की जाएं, तो बदलाव संभव है। उनकी सोच केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने पर केंद्रित है। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है हर हाथ को काम और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन। यही कारण है कि राज्य में कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

आज छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कुटीर उद्योगों के माध्यम से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान भी मजबूत हो रही है।सरकार की इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ न केवल कृषि, बल्कि उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, जो प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है। अंततः कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चल रही ये योजनाएं केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम जनजीवन को बदलने का सशक्त माध्यम बन चुकी हैं। यदि इसी तरह योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा।

जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का समापन

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल आडिटोरियम रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो जोश और ऊर्जा देखने को मिली, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की आदिवासी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने और उनकी खेल क्षमता को सामने लाने का अनूठा अवसर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके विजन और मार्गदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। साथ ही केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के निरंतर सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज देश के खेल मानचित्र में प्रमुख स्थान पर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यह गेम्स प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना है। तीरंदाजी, दौड़ और कुश्ती जैसे खेल जनजातीय जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उन्होंने स्वयं के जनजातीय पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज में अपार ऊर्जा और प्रतिभा निहित है, जिसे सही मंच मिलने पर देश-विदेश में पहचान मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति और कौशल का महाकुंभ बनकर उभरा है। देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह आयोजन आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में मुख्यमंत्री ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कर्नाटक, द्वितीय स्थान ओडिशा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक (03 स्वर्ण, 10 रजत और 06 कांस्य) हासिल किए हैं। इस अवसर पर पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के लिए 2 लाख रुपये, रजत के लिए 1.5 लाख रुपये और कांस्य के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं दलीय स्पर्धाओं में स्वर्ण के लिए 1 लाख रुपये, रजत के लिए 75 हजार रुपये और कांस्य के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई।

महज 18 माह के शासन में किसानों के मसीहा बन गये थे कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

2018 में सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहने दिया, बल्कि सत्ता संभालते ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" के तहत सरकार ने सीधे उन किसानों को राहत देने का प्रयास किया जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। पहले ही चरण में 02 लाख रुपये तक के फसली कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया, जिससे यह स्पष्ट संकेत गया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और त्वरित कार्रवाई के मूड में है। जून 2009 के बाद के कर्जदार किसानों की कर्ज माफी होती जिससे करीब 33 लाख किसानों को फायदा होता। इस कदम से लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार सरकार पर आता। कांग्रेस ने अपने 'वचन पत्र' में भी कहा था कि सरकार बनने के 11 दिनों में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने महज तीन मिनट में अपना वादा निभा दिया।

आंकड़ों के मुताबिक 26 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला और करीब 11,646.96 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण माफ किया गया। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि योजना का दायरा कितना व्यापक था। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को प्राथमिकता दी गई, जो सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव में थे। गांवों में इस फैसले का असर साफ नजर आया। कई किसानों को तत्काल राहत मिली और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक गति आई।

शिवराज सरकार ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी

कमलनाथ सरकार के गिरते ही प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। शिवराज सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों के हितकारी इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कर्जमाफी की पूरी प्रक्रिया जितनी तेजी से शुरू हुई, उतनी ही तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम ने इसे प्रभावित कर दिया। कांग्रेस का दावा रहा कि मौजूदा सरकार ने इसे बंद कर दिया। निश्चित ही कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना एक ऐसा कदम थी जिसने लाखों किसानों को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के चलते इसकी पूरी क्षमता सामने नहीं आ सकी। आज भी यह मुद्दा मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदर्भ बना हुआ है।

क्या मोहन यादव कर सकते हैं कर्जमाफी जैसी योजना को पुनः प्रारंभ?

वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लाखों किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ की कर्जमाफी योजना को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश का हर एक किसान कर्जदार है और इसके चलते काफी परेशान है। यदि मोहन यादव ऐसा करते हैं तो सही मायने में किसानों के लिए यह सबसे बड़ी सौगात होगी।

कमलनाथ के विजन और मिशन से प्रभावित था प्रदेश का हर वर्ग

कमलनाथ का विजन और मिशन सच में प्रदेश के लिए प्रेरणादायक था। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने विकास के नए रास्ते अपनाए, जिनका प्रभाव अब भी महसूस किया जा रहा है। कमलनाथ के इस विजन और मिशन ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी थी। उनके नेतृत्व ने प्रदेश में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, जिससे मध्यप्रदेश को एक नया पहचान मिला था। उन्होंने प्रदेश को एक समग्र और संतुलित तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। उनका सबसे बड़ा फोकस था किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और कृषि को लाभकारी बनाना।

विकास के समग्र मॉडल का निर्माण किया

कमलनाथ का मिशन था कि प्रदेश में हर क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो कृषि, उद्योग, पर्यटन, या इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न हो, बल्कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी समान विकास हो। मध्यप्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का मुख्यमंत्री कार्यकाल भले ही सीमित समय का रहा हो, लेकिन इस दौरान लिए गए फैसलों ने प्रदेश की राजनीति और नीतियों की दिशा तय कर दी। उनकी सरकार ने आते ही किसानों, युवाओं और आम जनता को केंद्र में रखते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की। ऐसी योजनाएं जिनका असर सीधे जमीन पर दिखने लगा था। कमलनाथ सरकार का कार्यकाल अचानक समाप्त हुआ। राजनीतिक उठापटक के बीच। इसके बाद नई सरकार ने कई योजनाओं की समीक्षा की, कुछ को बदला, कुछ को रोका और कई को नए नामों के साथ लागू किया। कमलनाथ सरकार का कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उसने कई ऐसी पहलें शुरू कीं, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है।

टीईटी मामलाः भविष्य को लेकर डेढ़ लाख शिक्षकों पर लटकी तलवार

(पेज 1 का शेष)

शिक्षक बना रहे मोहन सरकार पर दबाव

शिक्षक टीईटी नियमों में बदलाव, सेवा सुरक्षा और अस्पष्ट आदेशों के विरोध में सरकार पर पुनर्विचार का दबाव बना रहे हैं। इस निर्णय ने न केवल शिक्षा तंत्र में हलचल मचाई है, बल्कि लाखों शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है। उस समय के नियमों के अनुसार पूरी तरह पात्र थे। अब अचानक उन पर नई शर्त लागू किए जाने से असंतोष बढ़ गया है। शिक्षकों का मुख्य तर्क यह है कि उन्हें उनके नियुक्ति समय के नियमों के आधार पर ही आंका जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों तक सेवा दी है और अब करियर के अंतिम चरण में उन्हें एक नई परीक्षा के लिए बाध्य करना व्यावहारिक नहीं है। इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने लाता है।

मोहन सरकार के सामने चुनौती

मोहन यादव सरकार के सामने स्थिति चुनौतीपूर्ण है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर शिक्षकों का असंतोष शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यदि बड़ी संख्या में शिक्षक परीक्षा में असफल होते हैं या आंदोलन तेज होता है, तो इसका सीधा असर स्कूलों में पढ़ाई पर पड़ सकता है। गुणवत्ता और अनुभव- दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसा समाधान निकाला जाए, जो न्यायालय के निर्देशों का सम्मान भी करे और शिक्षकों के हितों की रक्षा भी। कानूनी दृष्टि से सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करती है, तो यह न्यायालय की अवमानना का मामला बन सकता है। इसलिए सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर आदेश के अनुरूप कार्रवाई शुरू की। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्होंने वर्षों तक सेवा दी है और अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को संभाला है। इन शिक्षकों के लिए अचानक टीईटी पास करना अनिवार्य कर देना न केवल व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न करता है, बल्कि उनके मनोबल पर भी असर डालता है। इसी संदर्भ में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है।

मध्यप्रदेश सरकार के सामने अग्नि परीक्षा

एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दबाव का है। शिक्षक एक संगठित और प्रभावशाली वर्ग होते हैं, और बड़े पैमाने पर उनका आंदोलन सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए सरकार इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवेदनशील राजनीतिक विषय के रूप में भी देख रही है। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर मोहन यादव सरकार गंभीर मुसीबत में फंसी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के लगभग डेढ़ लाख से अधिक कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी पास करने की तलवार लटक रही है, जिसके विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं। यह स्थिति सरकार के लिए एक तरफ कोर्ट के आदेश का पालन करने और दूसरी तरफ नाराज शिक्षकों को संभालने की दोहरी चुनौती बन गई है। मामले में अब पूर्व भाजपा विधायकों और सांसदों ने भी शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हैं, जो विधानसभा के बाद अब एक बड़ा असंतोष बन सकते हैं। इस मुद्दे का समाधान मोहन यादव सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक योग्यता के लिए एक बड़ी परीक्षा है।

भर्ती के बाद नियम बदलने का आरोप

जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उस समय टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का कोई प्रावधान नहीं था। शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1997-98, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 और राज्य शिक्षा सेवा भर्ती अधिनियम 2018 में भी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का उल्लेख नहीं है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी, प्रशासनिक और मानवीय सभी पहलुओं को संतुलित करना पड़ता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार, न्यायालय और शिक्षक संगठन मिलकर इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकालते हैं। उसे एक तरफ न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है और दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों की चिंताओं का समाधान भी करना है।

सम्पादकीय

राजेंद्र भारती: क्या महज़ कानूनी प्रक्रिया या किसी बड़ी राजनीतिक चाल का संकेत?

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की वैधता केवल चुनावी जीत से नहीं, बल्कि संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के पालन से भी तय होती है। ऐसे में जब किसी निर्वाचित विधायक की सदस्यता समाप्त होती है, तो यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहता, बल्कि उसके दूरगामी राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाने लगते हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी समाप्त होने की घटना ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्या यह पूरी तरह नियमों के तहत लिया गया फैसला है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है? पहला पक्ष यह कहता है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि ने संविधान या विधायी नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त होना एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू हों, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह निर्णय एक संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना है।

लेकिन राजनीति केवल नियमों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें समय, परिस्थितियों और शक्ति संतुलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में विपक्ष यह सवाल उठाने से नहीं चूकता कि क्या यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है? क्या किसी खास समय पर इस तरह का निर्णय लेकर सत्ता पक्ष अपने समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? या फिर यह विपक्ष को कमजोर करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है? भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण पहले भी सामने आए हैं, जब विधायकों या सांसदों की सदस्यता समाप्त होने के निर्णयों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। कई बार न्यायिक हस्तक्षेप के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाती है। यही कारण है कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक हो जाती है, ताकि जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में बना रहे।

राजेंद्र भारती के मामले में भी यह जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा जाए। यदि यह निर्णय पूरी तरह नियमों और साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है, तो उसे तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं यदि इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा की आशंका है, तो उसे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती दी जानी चाहिए। इस घटनाक्रम का एक बड़ा असर राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है। एक विधायक की सदस्यता समाप्त होने से विधानसभा की संख्या गणित प्रभावित होता है, जिसका असर सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीतियों पर पड़ता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इस फैसले के पीछे संभावित राजनीतिक लाभ-हानि का विश्लेषण किया जाए।

लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि विपक्ष मजबूत और सक्रिय रहे, ताकि वह सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। यदि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को किसी भी कारण से लगातार निशाना बनाया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई जनप्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे संरक्षण देना भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। अंततः यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र भारती की विधायकी समाप्त होने का मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा भी है। जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएं। जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि लोकतंत्र में लिए गए हर निर्णय के पीछे न्याय और नियम सर्वोपरि हैं, न कि कोई छिपी हुई राजनीतिक चाल। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सियासी गहमागहमी

कमलनाथ के नेतृत्व में मजबूती से बढ़ेगी कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रही है। लंबे समय से संगठनात्मक चुनौतियों और चुनावी असफलताओं के बाद अब पार्टी को एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसे कमलनाथ पूरा करते दिखाई देते हैं। उनकी राजनीतिक समझ, प्रशासनिक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजी है। हाल के समय में जिस तरह से संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस आगामी चुनावों को लेकर गंभीर है। कमलनाथ का फोकस सिर्फ नेतृत्व तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन के पुनर्गठन और जमीनी स्तर पर मजबूती लाने पर भी है।हालांकि, चुनौती अभी भी कम नहीं है। भाजपा की मजबूत संगठनात्मक संरचना और सत्ता में होने का लाभ कांग्रेस के लिए बड़ी बाधा है। ऐसे में कमलनाथ को अपनी रणनीति को और धारदार बनाना होगा, साथ ही युवा नेतृत्व को भी आगे लाने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर उम्मीदों का दामन थामा है, अब देखना यह होगा कि यह उम्मीद चुनावी सफलता में कितना परिवर्तित होती है।

भूपेश बघेल पर एक और एफआईआर की तैयारी

भूपेश बघेल और उनके करीबियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की खबर ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह मामला केवल एक कानूनी कार्रवाई भर नहीं, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे माने जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद अक्सर पूर्व सरकार के निर्णयों और कार्यशैली की जांच होती रही है, लेकिन ऐसे मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून के दायरे में आवश्यक कार्रवाई बता रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के तथ्यों के आधार पर काम करें, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। अगर आरोप सही हैं तो कार्रवाई होना न्याय का तकाजा है, लेकिन यदि यह केवल राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम बनता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक संकेत होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि यह प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी रहती है। आखिरकार, लोकतंत्र में न्याय का संतुलन ही सबसे बड़ा मानदंड होता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

8 साल पहले, SC/ST Act को कमजोर करने के खिलाफ लाखों दलित-आदिवासी युवाओं ने आंदोलन किया, जिसमें कई गिरफ्तार हुए।

संसद ने कानून तो मजबूत किया, लेकिन आज भी निर्दोष युवा मुकदमों का बोझ उठा रहे हैं।

मजबूत SC/ST Act उनका हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन उनका अधिकार।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की धोखाधड़ी का शिकार बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने गेहूं पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल MSP देने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि सरकार किसी भी तरह का MSP देने को तैयार नहीं है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

हिमंता बिस्वा सरमा : पूर्वोत्तर भारत में विकास और नेतृत्व का नया अध्याय

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता उभरते हैं, जो अपने कर्म, निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता के बल पर क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों में प्रमुख नाम है हिमंता बिस्वा सरमा, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर असम की राजनीति और विकास की दिशा को नई ऊर्जा प्रदान की है। एक प्रभावशाली वक्ता, कुशल प्रशासक और रणनीतिकार के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। हिमंता बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और फिर विधि (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक रहे। यही गुण आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बने। हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। वे वर्ष 2001 में पहली बार असम विधानसभा के लिए चुने गए और शीघ्र ही राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो गए। कांग्रेस शासन में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला और कई सुधारात्मक कदम उठाए। हालांकि समय के साथ संगठनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई और वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह निर्णय उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

भाजपा में शामिल होने के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भाजपा ने पूर्वोत्तर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी रणनीतिक सोच और संगठन कौशल के कारण उन्हें एक सफल चुनाव प्रबंधक और जननेता के रूप में पहचान मिली। वे जनता के बीच सक्रिय रहने और जमीनी मुद्दों को समझने के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2021 में हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में विकास और सुशासन को नई गति मिली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रभावी प्रबंधन की व्यापक सराहना हुई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए ठोस कदम उठाए।

मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने असम में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी नीतियों का उद्देश्य राज्य को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। हिमंता बिस्वा सरमा की नेतृत्व शैली सक्रिय, निर्णायक और परिणामोन्मुखी मानी जाती है। वे तेज निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषणों में स्पष्टता और आत्मविश्वास झलकता है, जो उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है।

हिमंता बिस्वा सरमा का राजनीतिक जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में असम विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक दूरदर्शी नेता के रूप में वे न केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। उनके प्रयासों से यह स्पष्ट है कि यदि नेतृत्व मजबूत और संकल्पित हो, तो विकास की नई राहें स्वयं बनती चली जाती हैं।

पर्यावरणविद् डॉ. प्रशांत सिन्हा श्री श्री रविशंकर द्वारा "जलयोद्धा" से सम्मानित

-संवाददाता

जगत प्रवाह. बंगलुरू। विगत दिनों पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं लेखक डॉ. प्रशान्त सिन्हा को आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी द्वारा बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के विशालाक्षी मंडप में जल योद्धा सम्मान 2025 से नवाजा गया। यह सम्मान सरकरीटेल डाट काम द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु ने इसकी मेजबानी की। कार्यक्रम में नीति आयोग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार (साझेदार राज्य) का सहयोग प्राप्त हुआ। ज्ञान साझेदार के रूप में एसोचैम, आईआईटी रुड़की और व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन ने योगदान दिया, जबकि इजराइल और फिनलैंड जैसे देश इसके साझेदार थे। 'जल योद्धा सम्मान' एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो भारत भर में जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता दिखाने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाता है। यह सम्मान पारंपरिक एवं नवीन प्रथाओं को मान्यता देकर जल संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को गति प्रदान करता है। इस अवसर पर डॉ. प्रशान्त सिन्हा ने कहा, "यह सम्मान मेरे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के प्रति प्रोत्साहन है। जल संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है और मैं इस दिशा में और सक्रिय रहूंगा।"

ममता अब दीदी नहीं, 'अप्पी' हो गई हैं: डॉ. मोहन यादव

-अमित राय

जगत प्रवाह. रीवा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जादू बिखेरा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बांकुरा में आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है। यह सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर की धरती है। आज चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ममता दीदी के राज में सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ममता अब दीदी नहीं है, ये अप्पी हो गई हैं। ये बात पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ममता दीदी बंगाली मानुष के अधिकारों को बांग्लादेश को देने पर तुली हुई हैं। इसलिए यह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। इस माहौल में श्री राम का मंत्र हम सभी को ताकत दे रहा है। आज हमारे बंगाल में यहां का युवा-महिला-गरीब-किसान, सभी लोग बदलाव के लिए खड़े हो

गए हैं। सब अपनी आन-बान-शान के लिए लड़ रहे हैं। आज दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को बंगाल में सत्ता हासिल करने से रोक नहीं सकती। बांकुरा जिले में 15 साल से सत्ता पर कायम ममता दीदी के राज में लोग पलायन कर रहे हैं। कोई ओडीशा जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है। वर्तमान में बंगाल का युवा कंगाल हो रहा है और बांग्लादेशी मालामाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत का कद-उसका मान बढ़ता देख रही है। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ये माहौल बता रहा है कि भाजपा ही भाजपा जीतेगी। ममता दीदी की सरकार में शिक्षक घोटाला हुआ, 26 हजार नियुक्तियां रद्द की गईं। उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला हुआ। ममता ने केवल हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने 24788 से ज्यादा मुकदमे दायर कर बहनों को लज्जित किया है। ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। अब बंगाल को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। आजादी के पहले से बंगाल में सबसे ज्यादा प्रतिभाएं थीं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में ममता की पार्टी ने राज्य का भट्टा बैठा दिया है। आज हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। हम सब जान की बाजी लगाकर भाजपा को जिताने वाले हैं। हमें एक-एक के घर जाना है, 24 घंटे काम करना है, हम बंगाल में कमल खिलाकर रहेंगे, भाजपा को जिताकर रहेंगे। जब तक एक-एक वोट भाजपा के पक्ष में न डल जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना है।

होर्मुज संकट के लिए अमेरिका-इजराइल गुनाहगार: अजय खरे

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रीवा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि एक माह पहले अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परंपरागत तेल भंडारों पर नियंत्रण रखने के नापाक इरादों के साथ जिस तरह अचानक युद्ध की शुरुआत कर दुनियां का अमन चैन छीना उसे लेकर तमाम थू-थू हो रही है। इसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व व्यापी तेल संकट पैदा हुआ। गुरुवार 2 अप्रैल को इंग्लैंड की अध्यक्षता में 35 देशों ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नाकेबंदी खुलवाने के लिए लंदन में एक बैठक की जिसमें भारत ने वर्चुअल भागीदारी की। हार्मुज शिखर बैठक' में ईरान की आलोचना की गई। जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग पर जोर दिया गया। खरे ने कहा कि लंदन बैठक में मौजूदा संकट में अमेरिका और इजरायल की हमलावर भूमिका को लेकर चुप्पी साधते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा जाना अत्यंत आपत्तिजनक बात है। आखिरकार इसे लेकर फ्रांस चीन और रूस ने वीटो पावर लगा दिया। खरे ने कहा कि मौजूदा मध्य पूर्व संकट के लिए जिम्मेदार अमेरिका और इजरायल की जगह युद्ध पीड़ित ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना बहुत आपत्तिजनक शर्मनाक बात है। एक तरह से यह बात युद्ध आक्रांता देश अमेरिका और इजरायल की खुशामदी है जिसमें उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलकर ईरान की निंदा की गई । अमेरिका और इजरायल के द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर संप्रभुता सम्पन्न देश चाहता है कि उसकी एकता और अखंडता बाधित न हो। बीसवीं सदी में दुनिया के अधिकांश देश आजाद हुए थे। इस वजह से उसे आजादी की शताब्दी भी कहा जाता है। लेकिन आजादी की शताब्दी के मध्य में आजाद तिब्बत को साम्राज्यवादी चीन के द्वारा गुलाम बना लिया जाना दुनिया के स्वतंत्रता के पक्षधरों के लिए 21 वीं शताब्दी में भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वेनेजुएला हो या ईरान एक देश के रूप में उनका स्वतंत्र वजूद बना रहना चाहिए।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का हुआ पटाक्षेप

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर के किसान मनोज गौर के खेत में रवांग ग्राम निवासी मोतीराम ने फसल में सिंचाई का ठेका लिया था जिसका पूर्ण हिसाब नहीं हो पाने से किसान और मजदूर के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो रही थी। जिसकी खबर नगर परिषद के वार्ड नं 6 के पार्षद सुनील दुबे तक पहुंची तो उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर प्रेरणादायक है। पार्षद दुबे ने किसान मनोज गौर और मजदूरी करने वाले मोतीराम से अपना अपना देना और लेना एक कागज पर लिखा और सभी के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें लगभग दो ढाई हजार रूपए का अंतर आ रहा था। परंतु पार्षद सुनील दुबे की सूझबूझ से किसान और मजदूर के बीच सुलह हुई जिससे किसी प्रकार का झगड़ा झांसा नहीं हुआ।

विक्टोरियस कप का शुभारम्भ ; पत्रकार 11 और डॉक्टर्स 11 के बीच हुआ रोमांचक क्रिकेट मैच

- नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। विक्टोरियस क्रिकेट क्लब द्वारा जिले में पहली बार अंडर 14 लेदर बॉल का IPL की तर्ज पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आगाज दिन बुधवार को डे नाइट मैच के तहत अतिथियों के मुख्य आतिथ्य में पत्रकार 11 वर्सस डॉक्टर्स 11 के बीच टेनिस बॉल से मैच का भव्य शुभारंभ हुआ। जिसमें रोमांचक मुकाबले में डॉक्टर्स 11 विजेता घोषित हुए। विक्टर विक्टोरियस क्लब के संरक्षक मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित, डॉ अतुल सेठा, वरिष्ठ समाजसेवी राकेश फौजदार, स्प्रिंगडेल्स स्कूल डायरेक्टर आशीष चटर्जी, वनस्थली स्कूल डायरेक्टर अंजलि गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस प्लेयर , आध्या तिवारी, जिला खेल एवं युवा अधिकारी सुश्री उमा पटेल, अधिवक्ता संघ सचिव मनोज जराठे, पल्लवी चौकसे, शिवानी संतोरे, मोहित अग्निहोत्री, विकास अग्रवाल, सौरभ शुक्ला, पत्रकार टीम के कप्तान प्रफुल्ल तिवारी , डॉक्टर टीम की कप्तान डॉक्टर राजकुमार गक्खर द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा टीम के खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान की गई।

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध पुष्कर सिंह धामी

- प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पहचान और अधिक सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां की आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य में सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं तथा धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों केदारखंड और मानसखंड सहित अन्य स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास के कार्य लगातार जारी हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में हर वर्ष श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुंभ केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का विषय है, वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा भी निरंतर संचालित हो रही है और चारधाम के कपाट खुलने तक जारी रहेगी। अब तक लगभग एक लाख साठ हजार श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की भी व्यापक तैयारियां आरम्भ की जा चुकी है।

महिला आरक्षण विधेयक में बदलाव की तैयारी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार बड़े संवैधानिक बदलाव की तैयारी में जुट गई है। संसद के दोनों सदनों से पारित हुए इस विधेयक के प्रारूप में परिसीमन की शर्त को विलोपित कर सरकार की इच्छा लोकसभा और विधानसभाओं में 2027 से ही महिलाओं को आरक्षण देने की है। परिसीमन की शर्त के साथ इस प्रावधान को लागू करना 2029 से पहले संभव नहीं है। इस विधेयक में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा की सीटें आरक्षित करना जरूरी है। इस हेतु सरकार वर्तमान चालू सत्र में संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट से पास कराकर संसद में पेष कर सकती है। यह सत्र 2 अप्रैल तक ही है, अतएव गृहमंत्री अमित शाह जरूरी बहुमत के लिए विपक्षी दलों से सहमति बनाने में जुट गए हैं। केंद्र सरकार ने देश की आधी आबादी का अभिनंदन करते हुए सितंबर 2023 में 128 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया था। लोकसभा में 27 साल से यह विधेयक लंबित था। इस विधेयक के पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों से लेकर विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तय कर दी गई है। विधेयक के कानून में बदलने और क्रियान्वित होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो गई हैं। इन सीटों पर महिला प्रत्याषी ही चुनाव लड़ सकेंगी। फिलहाल यह आरक्षण की सुविधा 15 वर्ष के लिए तय की गई है। लेकिन मांग के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। देष में इस समय करीब 44 करोड़ महिला मतदाता हैं।

इसके कानून बनते ही ऐसे कई दोहरे चरित्र के चेहरे हाशिये पर चले जाएंगे, जो पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान के बहाने, गाहे-बगाहे बीते 27 साल से गतिरोध पैदा किए हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक का मूल प्रारूप संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान गीता मुखर्जी ने तैयार किया था। लेकिन अक्सर इस विधेयक को लोकसभा सत्र के दौरान अंतिम दिनों में पटल पर रखा गया। इससे यह संदेह हमेषा बना रहा कि एचडी देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकारें गठबंधन के दबाव और राजनीतिक असहमतियों के चलते ठोस इच्छा शक्ति नहीं जता पाई थीं। हालांकि 9 मार्च 2010 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने जरूर इस विधेयक को राज्यसभा में पेश कर पास करा लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह इसे लोकसभा से पारित नहीं करा पाए थे। जबकि उनके पास लोकसभा में स्पश्ट बहुमत था। इस सरकार को अपने ही सहयोगी दलों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। सहयोगी गठबंधन के सांसदों ने पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान के बहाने, इस विधेयक को अटका दिया था। यहां तक की समर्थक दलों ने कांग्रेस को समर्थन वापसी की धमकी भी दे दी थी। हालांकि प्रजातंत्र में तार्किक असहमतियां, संवैधानिक अधिकारों व मूल्यों को मजबूत करने का काम करती हैं, लेकिन असहमतियां जब मुट्ठी भर सांसदों की अतार्किक हठधर्मिता का पर्याय बन जाएं तो ये संसद की गरिमा और सदन की शक्ति को ठेंगा दिखाने वाली साबित होती हैं।

उस समय विधेयक से असहमत दलों की प्रमुख मांग थी, '33 फीसदी आरक्षण के कोटे में पिछड़े और मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को विधान मंडलों में आरक्षण का प्रावधान रखा जाए।' जबकि संविधान के वर्तमान स्वरूप में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों को आरक्षण की सुविधा हासिल है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लाभ कैसे संभव है? हमारे लोकतांत्रिक संविधान में धार्मिक आधार पर किसी भी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा इस बिना पर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की सुविधा कैसे हासिल हो सकती है? अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं की उम्मीदवारी को प्राथमिकता देने का प्रावधान जोड़ दिया जाए। इससे एक तो संसद में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 38 प्रतिशत से बढ़कर करीब 40 प्रतिशत हो जाएगी, दूसरे जो लोग पिछड़े समुदाय की महिलाओं को विधेयक में जोड़ने की मांग उठा रहे थे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी।

दरअसल इस कानून के वजूद में आ जाने के बाद अस्तित्व का संकट उन काडरविहीन दलों को है, जो व्यक्ति और जाति आधारित दल हैं। इसी कारण लालू, मुलायम और शरद यादव इस बिल के विरोध में दृढ़ता से खड़े होते रहे थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में जातियता के बूते क्रियाशील इन यादवों की तिकड़ी का दावा रहता है कि इस अलोकतांत्रिक विधेयक के पास होने के बाद पिछड़ी व मुस्लिम महिलाओं के लिए जम्हूरियत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जबकि उनकी वास्तविक चिंता यह नहीं है? दरअसल 33 फीसदी आरक्षण के बाद बाहुबलि बने पिछड़े वर्ग के आलाकमानों का लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक आधार तो सिमटेगा ही, सदनों में संख्याबल की दृष्टि से भी इन दलों की ताकत घट जाएगी। अन्यथा ये सियासी दल वाकई उदार और पिछड़ी व मुस्लिम महिलाओं के ईमानदारी से हिमायती हैं, तो सभी आरक्षित सीटों पर इन्हीं वर्गों से जुड़ी महिलाओं को उम्मीदवार बना सकते हैं? बल्कि अनारक्षित सीटों का भी इन्हें प्रतिनिधित्व सौंप सकते हैं ? दरअसल इन कुटिल राजनीतिज्ञों के दिखाने और खाने दांत अलग-अलग हैं। गोया तय है कि अल्पसंख्यकों की बेहतर नुमाइंदगी की वकालात के इनके दावे थोथे हैं।

इन दलों का दोहरा चरित्र इस बात से भी जाहिर होता रहा है कि जब देश की पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं का 33 फीसदी से 50 फीसदी आरक्षण बढ़ाने का विधेयक लाया गया था तब ये सभी दल एक राय थे। यही नहीं जब नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का विधेयक लाया गया था, तब भी इन दलों की सहमति बनी रही। लेकिन जब लोकसभा व विधानसभा की बारी आती है तो यही दल गतिरोध पैदा करने लग जाते हैं। क्योंकि इस विधेयक के लागू होते ही इनके निजी राजनैतिक हित प्रभावित हो जाएंगे। इनका लोकसभा और विधानसभा में पुरूशवादी वर्चस्व का दायरा 33 फीसदी घट जाएगा। राजनेताओं के लिए यह विधेयक इसलिए भी वजूद का संकट है, क्योंकि जिन लोक व विधानसभा क्षेत्रों से ये लोग लगातार विजयश्री हासिल करते चले आ रहे हैं, वह क्षेत्र यदि महिला आरक्षण के दायरे में आ गया तो इन्हें चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा ? तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम समुदाय को बरगलाए रखने के नजरिये से इस विधेयक का विरोध किया था। भ्रश्टाचार में लिप्त ऐसे नेता भी इस विधेयक का विरोध करते रहे थे। जिनके लिए सांसद अथवा विधायक के रूप में लोक सेवक बने रहना, सुरक्षा कवच का काम करता है।

हमारे देश में विकास को आंकड़ों और व्यक्तिगत उपलब्धि को संख्या बल की दृष्टि से देखने-परखने की आदत बन गई है। इस नाते हम मानकर चल रहे हैं कि 543 सदस्यीय लोकसभा में 181 महिलाओं की आमद दर्ज होने और 28 राज्यों की कुल 4123 विधानसभा सीटों में से महिलाओं के खाते में 1374 सीटें चली जाने से देश की समूची आधी आबादी की शक्ल बदल जाएगी। अथवा स्त्रीजन्य विशमताएं व भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल लोकसभा में 74 महिलाएं सांसद हैं। यह भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत बैठती है। वहीं राज्यसभा में 42 महिला सांसद हैं, जो मात्र 17 प्रतिशत है। एक तिहाई आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएगी। 1952 में गठित पहली लोकसभा में सिर्फ 4.4 प्रतिशत यानी 489 में से महज 22 महिलाएं सांसद थीं। विधानसभाओं में महिला विधायकों की उपस्थिति केवल 9 फीसदी है। 2027 में 2011 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें अप्रत्याशित रूप में बढ़ सकती हैं, तब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की शक्ति तो बढ़ेगी।

प्रकृति की रक्षा, जीवन की आशा

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

प्रकृति हमारा जीवन का आधार है, पर आज प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इसे खतरे में डाल रहे हैं। प्रकृति की रक्षा ही जीवन की सच्ची आशा है, क्योंकि हरा-भरा पर्यावरण हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और समृद्ध जैव-विविधता प्रदान करता है। यदि हम आज छोटे-छोटे कदम उठाएं जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना और ऊर्जा बचाना तो कल एक सुरक्षित भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौतम बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले ही समझ लिया था कि "पर्यावरण की रक्षाः भविष्य की सुरक्षा" तभी तो उन्होंने पेड़, वायु, पर्वत एवं विभिन्न जल स्रोत- कुएं, तालाब, झरने, नदी की शुचिता और संरक्षण को अपने प्रवचनों में विशेष स्थान दिया और अपने अनुयायियों को उसे सख्ती से अपनाने को कहा। आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण महज एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और तेजी से शहरीकरण के चलते पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति का आभास अब हमें होने लगा है, जब जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का संकट और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेज हो चुका है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।

मनुष्य सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता आया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह दोहन असंतुलित और अनियंत्रित हो गया है। वन भूमि का अत्यधिक कटाव, नदियों और जल स्रोतों का दूषित होना, और वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण हमारी पृथ्वी खतरे में है। प्राकृतिक संसाधनों का यह अति प्रयोग न केवल पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है, बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाएगा। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, जो औद्योगिकीकरण और वाहनों के अत्यधिक उपयोग से बढ़ रहा है, जलवायु को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाओं, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। प्रकृति में सभी जीव-जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मानव गतिविधियों, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और शिकार, के कारण जैव विविधता में भारी गिरावट आ रही है। हर दिन सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। यह संकट केवल उन जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन के कारण मनुष्य का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। अगर यह संकट इसी तरह जारी रहा, तो हमारी खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और स्वास्थ प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। हमें यह समझने की जरूरत है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी विशेष संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है। छोटी-छोटी आदतें जैसे पानी की बचत करना, बिजली का कम उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनः चक्रण (रीसाइकलिंग) को अपनाना, बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य करना, जनसंचार माध्यमों के जरिए संदेश फैलाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जागरूकता बढ़ाने के सशक्त उपाय हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ विकास करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए टिकाऊ विकास की अवधारणा को अपनाना बेहद जरूरी है। टिकाऊ विकास वह है, जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हमें ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और कृषि में टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर हम न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन, पानी का पुनः उपयोग और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना भी टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नीतियों और कानूनों को लागू करना चाहिए। वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते, जैसे पेरिस समझौता, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इन समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इसके साथ हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पौधरोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए हम पर्यावरण की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर भी हमें पहल करनी चाहिए। स्थानीय संगठनों और एनजीओ के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा का सीधा संबंध हमारी आने वाली पीढ़ियों से है। जिस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर इसी गति से यह चलता रहा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों से वंचित रह सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और इनका विवेकपूर्ण उपयोग ही हमारे भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। पर्यावरण की रक्षा केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें सरकार, उद्योग, समाज और व्यक्ति सभी की भागीदारी जरूरी है।

डिजिटल दुनिया अकेले घर, दीवारों के बीच सिमटता संवाद

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आज के दौर में जब हम 'ग्लोबल विलेज' और 'हाई-स्पीड कनेक्टिविटी' की बात करते हैं, तो एक विरोधाभासी सत्य हमारे सामने खड़ा होता है। तकनीक ने सात समंदर पार बैठे व्यक्ति को तो एक क्लिक की दूरी पर ला दिया, लेकिन बगल के कमरे में बैठे अपने को कोसों दूर कर दिया है। हम एक ऐसे 'डिजिटल टापू' पर रहने लगे हैं, जहाँ शोर तो बहुत है, पर सुकून भरा संवाद गायब है। हम दुनिया से तो 'जुड़े' हैं, पर अपनों से 'कटे' हुए हैं।

स्मृतियों की खुली छत बनाम चार इंच का कारावास

बीते तीन दशकों में भारत के सामाजिक ढांचे में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वह हमारे 'बचपन' में है। याद कीजिए 90 के दशक की वे गर्मियाँ, जब पारा चढ़ते ही नानी के घर जाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती थीं। वह समय केवल छुट्टियों का नहीं, बल्कि रिश्तों के नवीनीकरण का उत्सव होता था। दोपहर में दादी की कहानियों का तिलिस्म और रात को छत पर बिछी चारपाइयों की कतार, यह केवल सोने का इंतजाम नहीं था, बल्कि एक सामूहिक संस्कार था। छत पर लेटकर तारों को निहारना, बिना घड़ी के समय का बहना, ये सब हमें सहजता, धैर्य और अपनापन सिखाते थे। वहाँ संवाद सहज था, संबंध स्वाभाविक थे और 'अकेलापन' जैसा शब्द हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं। आज वही बचपन छतों से उतरकर स्क्रीन की दीवारों में कैद हो गया है। मोबाइल और टैबलेट ने बच्चों के हाथों में दुनिया तो दे दी है, पर उनसे उनकी अपनी जमीन छीन ली है।

"डिजिटल लोनलीनेस" अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सामाजिक सच्चाई है—जहाँ हजारों ऑनलाइन कनेक्शन होने के बावजूद व्यक्ति भीतर से रिक्त है।

संवादः वह गोंद जो घर को जोड़े रखता है

संवाद केवल शब्दों का लेन-देन नहीं, बल्कि भावनाओं का वह अदृश्य सेतु है जिस पर रिश्तों का भरोसा चलता है। जब घरों में संवाद कम होता है, तो दीवारें ऊँची होने लगती हैं, भले ही वे ईंट की न हों, पर भावनात्मक दूरी उतनी ही कठोर हो जाती है।

आंकड़ों की चेतावनी और बदलती वास्तविकता

दुनिया भर में हुए शोध यह संकेत दे रहे हैं कि डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से युवाओं में अकेलेपन, तनाव और अवसाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी किशोरों में बढ़ती चिड़चिड़ाहट और भावनात्मक असंतुलन का एक बड़ा कारण पारिवारिक संवाद की कमी माना जा रहा है। खेल के मैदान अब पहले जैसे गुलजार नहीं हैं, जबकि वर्चुअल गेम्स के सर्वर हमेशा व्यस्त रहते हैं। यह बदलाव केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि मानसिक संरचना का भी है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन समझ, संवेदना और जीवन जीने की कला केवल संवाद से आती है।

समाधानः संवाद की पुनर्स्थापना के 'फंडे'

समस्या जितनी गहरी है, समाधान उतना ही सरल और मानवीय है। संवाद को फिर से जीवन का केंद्र बनाना।

डिजिटल डिटॉक्स का समय तय करें: दिन का कम से कम एक घंटा 'नो गैजेट जोन' बनाएं, विशेषकर डिनर के समय।

डिनर टेबल को संवाद का मंच बनाएं: भोजन के साथ-साथ दिनभर के अनुभवों को साझा करें।

अनुभवों की विरासत जोड़ें: बच्चों को दादा-दादी और परिवार के वरिष्ठों से जोड़ें। वे चलती-फिरती जीवन पुस्तक हैं।

सुनना सीखें: संवाद का आधा हिस्सा सुनना है। बच्चों को समझने के लिए उन्हें समय और धैर्य दें।

छुट्टियों को अनुभव बनाएं: इस गर्मी में बच्चों को रिश्तों के बीच ले जाएँ—गाँव, नानी का घर या पारिवारिक मिलन। यही जीवन की असली पाठशाला है।

रिश्तों की असली 'नेटवर्किंग'

आज हम 5G और हाई-स्पीड इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, लेकिन रिश्तों की गति धीमी होती जा रही है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन की सबसे मजबूत 'नेटवर्किंग' मोबाइल टावरों से नहीं, बल्कि दिलों के बीच बने संवाद के पुलों से होती है।

आधी रात खुला विधानसभा सचिवालयः जीतू पटवारी व पीसी शर्मा ने दतिया विधायक के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

- दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। विधानसभा सचिवालय को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया के लिए देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ विधानसभा पहुंचे और इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि रात में सचिवालय खोलना कई सवाल खड़े करता है। पटवारी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से रात में काम किया गया, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक गुंडागर्दी और सत्ता का दुरुपयोग बताया है। कांग्रेस का दावा है कि विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। पार्टी ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर वह पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

R.O. No. : 13711/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (म.प्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र) से प्रकाशित। संपादक : **विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)